



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06052022-235588
CG-DL-E-06052022-235588

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2000]
No. 2000]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 5, 2022/वैशाख 15, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, MAY 5, 2022/VAISAKHA 15, 1944

रेल मंत्रालय
(उत्तर रेलवे)
(निर्माण संगठन)
शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2022

का.आ. 2101(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20A की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के रेल मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 286(अ), तारीख 29.12.2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में तारीख 20.01.2022 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:—

अधिसूचना संख्या का. आ. 286 (अ), तारीख 29.12.201 के सम्बन्ध में : विशेष रेल परियोजना देवबंद—रूड़की नई रेल लाइन के निष्पादन के लिए गांव देवबंद बैरून हदूद जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश राज्य में अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण, जो कि रेल मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 286(अ), तारीख 29.12.2021 की अनुसूची के गांव देवबंद बैरून हदूद, के क्रमांक सं 3 को निरस्त किया जाता है और उक्त परियोजना के लिए गांव देवबंद बैरून हदूद जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश राज्य में अर्जित की जाने वाली भूमि का संशोधित का संक्षिप्त विवरण (अनुसूची के क्रमांक सं. 3 पर) निम्न पढ़ा जाये :

जिला का नाम - सहारनपुर

क्रम संख्या	जिला का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	खाता नंबर	चक/खसरा नं०	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हैक्टे में)
3	सहारनपुर	देवबंद	देवबंद बैरून हदूद	2071(अ)	835/1 842/1 842/3	निजी	कृषि	0.2045

[फा. सं. 101-W/91/W-Spl/Estt/Pt-IV/II]

ए. के. सिंघल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

(Northern Railway)

(CONSTRUCTION ORGANIZATION)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 1st April, 2022

S.O. 2101(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, hereby makes following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Railways notification number S.O. 286 (E) dtd. 29.12.2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section dated on 20.01.2022 namely:-

For notification vide S.O. 286 (E) dtd. 29.12.2021: Earlier brief description of the land to be acquired, with or without structures, for village (Deoband Baroon Hadood) Distt. Saharanpur (UP) falling within the proposed Special Railway Project of Deoband-Roorkee (New Line) in District Saharanpur in the state of Uttar Pradesh Sl.No. 3 & 6 may be treated as cancelled and correct details may be read as under:

District: Saharanpur

Sr.No	District Name	Tehsil	Village Name	Khata No.	Khasra No	Type of Land	Nature of land	Area in Hect
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Saharanpur	Deoband	Deoband Baroon Hadood	2071(□)	835/1 842/1 842/3	Pvt	Agriculture	0.2045
6	Saharanpur	Deoband	Deoband Baroon Hadood	227(□)	620	Pvt	Plotting	0.0151

[F. No. 101-W/91/W-Spl/Estt/Pt-IV/II]

A.K.SINGHAL, Chief Administrative Officer/Const.

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2022

का.आ. 2102(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20A की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के रेल मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 287(अ), तारीख 29.12.2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में तारीख 20.01.2022 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

अधिसूचना संख्या का. आ. 287 (अ), तारीख 29.12.2021 के सम्बन्ध में : विशेष रेल परियोजना देवबंद—रूड़की नई रेल लाईन के निष्पादन के लिए गांव दीवालहेडी जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश राज्य में अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण, जो कि रेल मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 287(अ), तारीख 29.12.2021 की अनुसूची के गांव दीवालहेडी के क्रमांक सं. 5, 6, एवं 7 को निरस्त किया जाता है और उक्त परियोजना के लिए गांव दीवालहेडी जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश राज्य में अर्जित की जाने वाली भूमि का संशोधित का संक्षिप्त विवरण (अनुसूची के क्रमांक सं. 5, 6, एवं 7 पर) निम्न पढ़ा जाये :

जिला का नाम – सहारनपुर

क्रम संख्या	जिला का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	खाता नंबर	चक/खसरा नं०	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टे में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	सहारनपुर	देवबंद	दीवालहेडी	81	195(ख) 196 (ख)	निजी	कृषि	0.050
6	सहारनपुर	देवबंद	दीवालहेडी	247	401	निजी	कृषि	0.047
7	सहारनपुर	देवबंद	दीवालहेडी	108	550 200	निजी	कृषि	0.0779

[फा. सं. 101-W/91/W-Spl/Estt/Pt-IV/II]

ए. के. सिंघल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

CORRIGENDUM

New Delhi, the 1st April, 2022

S.O. 2102(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, hereby makes following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Railways notification number S.O. 287 (E) dtd. 29.12.2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section dated on 20.01.2022 namely:-

For notification vide S.O. 287 (E) dtd. 29.12.2021: Earlier brief description of the land to be acquired, with or without structures, for village Diwalheri & Dunichandpur Distt. Saharanpur (UP) falling within the proposed Special Railway Project of Deoband-Roorkee (New Line) in District Saharanpur in the state of Uttar Pradesh Sl.No. 5, 6, 7&12 may be treated as cancelled and correct details may be read as under:

District: Saharanpur

Sr. No	District Name	Tehsil	Village Name	Khata No.	Khasra No	Type of Land	Nature of land	Area in Hect
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Saharanpur	Deoband	Diwalheri	81	195(□) 196 (□)	Pvt	Agriculture	0.050
6	Saharanpur	Deoband	Diwalheri	247	401	Pvt	Agriculture	0.047
7	Saharanpur	Deoband	Diwalheri	108	550 200	Pvt	Agriculture	0.0779
12	Saharanpur	Deoband	Duni Chandpur	Nil	232/1	Pvt	Agriculture	0.0414

[F. No. 101-W/91/W-Spl/Estt/Pt-IV/II]

A.K.SINGHAL, Chief Administrative Officer/Const.